सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्रीगंगानगर (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करणसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

अपील माल प्रकरण सं0 82/2013

1. गमदूर सिह
2. चानण सिंह पिसरान श्री प्रीतम सिंह
3. गुरदेव कौर पत्नि श्री प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 54 एनपी तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर

– अपीलार्थीगण

बनाम

1. विमला देवी
2. भूपराम
3. रिछपाल
4. समना पिसरान मोडूराम जाति बिश्नोई निवासी हाल चक 6 पीएचएम तहसील खालूवाला जिला बीकानेर
5. मालादेवी पत्नि श्री पृथ्वीराज जाति बिश्नोई निवासी 6 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
6. विक्रम
7. कविता पुत्रान श्री पृथ्वीराज (नाबालिगान) जरिये कुदरतीवली माता माला देवी पत्नि श्री पृथ्वीराज जाति बिश्नोई निवासी हाल 6 पीएचएम तहसील खालूवाला जिला बीकानेर
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश 15.01.2013 तहसीलदार रायसिंहनगर

उपस्थित : 1. श्री तेजा सिह अपीलार्थीगण
2. श्री रेस्पोडेंट के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पों. संख्या 8

आदेश **दिनांक : 24–06–15**

पत्रावली राजस्व लोक अदालत के सक्षम प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत अपील के सुसंगत तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कोई विधिसम्मत नोटिस जारी नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट द्वारा अपने नाम से इंतकाल दर्ज कराने के लिए निवेदन करने पर पटवारी हल्का द्वारा कॉलम नं 14 में दर्ज करके अधीनस्थ न्यायालय से इंतकाल तस्दीक करवा लिया। 45 दिन तक इंतकाल तस्दीक करने के अधिकार

कलक्टर (प्रशासन)
नगर (राज.)

श्रीगंगानगर (राज.)

ग्राम पंचायत को है। रेस्पोडेंट के पिता से दिनांक 29.05.1974 को जरिये बैयनाम अपीलांट्स व उसके पिता द्वारा विवादित रकबा खरीद किया गया था। जब रकबा 1974 में बेचान हो गया था तो रेस्पोडेंट के नाम इंतकाल नही हो सकता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लैण्ड रिकॉर्ड रूलस 1957 के नियम 132 से 134 की प्रक्रिया की पालना नही की है। मौका पर कब्जा अपीलांटस का है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाये।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्टस के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अपीलांटस द्वारा जरिये बैयनामा विवादित रकबा खरीद किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट के नाम इंतकाल दर्ज करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स 1957 के नियम 132 से 134 की पालना नही की गई है। मौके पर कब्जा अपीलांटस का है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही है। इनकी ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नही हुआ है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। अतः अपील अस्वीकार की जानी चाहिए।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलाधीन इंतकाल संख्या 208 चक 54 एनपी मोडूराम के देहान्त के बाद विरासतन इंतकाल, मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 21.11.2012 को पटवारी हल्का द्वारा खोला जाकर आई.एल.आर. द्वारा दिनांक 22.11.2012 को मिलान किया गया है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15. 01.2013 को स्वीकृत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि विवादित रकबा मोडूराम द्वारा दिनांक 30.05.1974 को श्रीमती गुरदेव कौर पत्नि प्रीतम सिंह, श्री गमदूर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, श्री चनन सिंह पुत्र प्रीतम सिंह एवं प्रीतम सिंह पुत्र इन्द्र सिह को जरिए रजिस्टर्ड बैयनामों से बेचान कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इंतकाल पारित करने से पूर्व न तो अपीलांटस को कोई विधिसम्मत् नोटिस जारी किये गये और न ही सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय यदि अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर देता, तो निश्चितरूप से अपीलांट्स द्वारा बैयनामें की प्रतियां प्रस्तुत की जाती। इस प्रकार विवादित रकबा जब वर्ष 1974 में विक्रय हो चुका था, को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मोडूराम के देहांत के बाद विरासतन इंतकाल रेस्पोडेंट्स के नाम दर्ज करने में विधिक त्रुटि की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण पुनः सुनवाई एवं जांच हेतु अधीनस्थ न्यायालय प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

कलक्टर (प्रशासन)
गानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

3

फलस्वरूप, अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल संख्या 208 दिनांक 15.01.2013 चक 54 एनपी को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इसनिर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी सम्बन्धित पक्षकरों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, वर्ष 1974 में मोडूराम द्वारा अपीलांट्स के पक्ष में करवाये गये बैयनामों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करें। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भेजा जावे। उभयपक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.07.2015 को उपस्थित हो।

आज दिनांक 24–6–15 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/6/15

(करणसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)